कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2019–20 दिनांक : 29.11.2019

स्मरण पत्र

अत्यावश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक –मुख्यालय

विषय : शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में विभिन्न छात्रवृत्तियों के आवेदनों के Final Submit / Lock के उपरांत रही कमियों को ठीक करने हेतु पोर्टल को दिनांक 26.11.2019 से 29.11.2019 तक पुनः खोलने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन करते समय गलत प्रविष्ठि को ठीक करने हेतु एवं Un-Lock रहे आवेदनों को Lock करने हेतु शालादर्पण पोर्टल को दिनांक 26.11.2019 से 04 दिवस तक समस्त विद्यालयों को Un-Lock किया गया है। गलत प्रविष्ठी (केटेगरी,जेण्डर तथा कक्षा) वाले आवेदन एवं Un-Lock आवेदनों को लाल रंग से दर्शाया गया है।

अतः अंतिम बार शालादर्पण पोर्टल को दिनांक 26.11.2019 से आवेदनों में रही कमी वाले विद्यालयों एवं पात्र किए गए विद्यार्थियों के आवेदनों को जिनको Lock नहीं किया गया है उन समस्त विद्यालयों को Un-Lock किया गया है। अतः आप अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के शालादर्पण पोर्टल पर Scholarship Tab में एक Pending/Wrong Scholarship Application Monitoring का Option का बटन दिया गया है जिसमें आप अपने जिले की विद्यालयों की सूची देख सकते हैं, सूची के अनुसार संस्थाप्रधानों से व्यक्तिशः सम्पर्क कर आवेदनों में रही कमियों को शालादर्पण पोर्टल पर दिनांक 26.11.2019 से 29.11.2019 तक आवश्यक रूप से संशोधित करवाना सुनिश्चित करें। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित संस्था प्रधानों को निर्देश जारी करें।

किसी भी परिस्थिति में यदि कोई पात्र विद्यार्थी किसी भी कारण से वंचित रहता है तो उसका समस्त दायित्व आप का होगा। वंचित रहने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शासन को प्रस्तावित की जावेगी।

संलग्न : मॉड्यूल(02)

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक : शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2018–19 दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO's)को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी उक्त आदेशों की पालना हेतु पाबंद करें
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
4. अनुभाग अधिकारी, शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।
5. रक्षित पत्रावली

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर